



उत्तर प्रदेश जल निगम

6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ

पत्रांक

188/प्र-1/2005-0021/18

दिनांक 02 फरवरी, 2018

विशेष कार्याधिकारी(प्रशासनिक) एवं निजी सचिव(संविदा) की तैनाती हेतु विज्ञापन:-

उ०प्र० जल निगम, लखनऊ में वाक-इन-इण्टरव्यू के माध्यम से नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर एक योग्य सेवानिवृत्त आई०ए०एस० अधिकारी अथवा 20 वर्ष प्रशासनिक अनुभव प्राप्त योग्य सेवानिवृत्त अधिकारी तथा सचिवालय सेवा के एक सेवानिवृत्त निजी सचिव की आवश्यकता है।

अतः इच्छुक सेवानिवृत्त कार्मिक अपना बायोडाटा एवं सेवाविवरण सचिव (प्रशासन), उ०प्र० जल निगम, 6-राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 15 फरवरी, 2018 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त से सम्बन्धित विस्तृत सूचनाएं उ०प्र० जल निगम की वेबसाइट www.upjn.org पर उपलब्ध हैं।

उ०प्र० जल निगम वेबसाइट पर अप-लोड किए जाने वाली सूचना

(1) संविदा के आधार पर विशेष कार्याधिकारी(प्रशासनिक) के रूप में तैनाती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

- 1- अभ्यर्थी का नाम:-.....
- 2- पिता का नाम:-.....
- 3- जन्मतिथि:-.....
- 4- स्थाई पता:-.....
- 5- पत्र व्यवहार का पता:-.....
- 6- पूर्व में सेवारत विभाग का नाम:-.....
- 7- उक्त विभाग में कार्यभार ग्रहण की तिथि:-.....
- 8- सेवावधि:-.....
- 9- सेवारत विभाग में विभिन्न पदों पर तैनाती का विवरण:-.....
- 10- सेवारत विभाग में अन्तिम वेतन एवं परिलब्धियाँ.....
- 11- सेवावधि में किए गए विशेष कार्यों का विवरण.....
जिसका विशेष अनुभव प्राप्त हो।

पासपोर्ट साइज
फोटो

-:अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं:-

- (1) विशेष कार्याधिकारी(प्रशासनिक) की सेवाएं संविदा पर प्राप्त होने पर नियत मानदेय रू० 75,000/-प्रतिमाह पारिश्रमिक के रूप में देय होगा। इसके अतिरिक्त वाहन, आवास इत्यादि की अन्य कोई सुविधा देय नहीं होगी।
- (2) संविदा पर नियुक्ति की अवधि में उक्त अधिकारी द्वारा जल निगम कार्य से की गयी यात्रा के सम्बन्ध में वे ही नियम लागू होंगे, जो जल निगम के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए अनुमन्य हैं।
- (3) संविदा पर नियुक्ति की अवधि में उक्त अधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2-4 के सहायक नियम-157(ए) तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत अस्थायी अधिकारियों की भौति अवकाश देय होगा परन्तु उक्त अवधि में अर्जित अवकाश अनुमन्य नहीं होगा।
- (4) संविदा पर तैनाती की अवधि में उनके द्वारा उ०प्र० जल निगम में कार्मिक अनुभाग, शिकायत प्रकोष्ठ एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरणों के निस्तारण सम्बन्धी कार्यों को सम्पादित कराया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, जल निगम द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों का निस्तारण किया जायेगा।
- (5) उपरोक्त संविदा पर तैनात किए जाने वाले कार्मिकों को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि वे कहीं अन्यत्र सेवामयोजित नहीं हैं।
- (6) उक्त पद हेतु आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2018 को 65 वर्ष से अधिक न हो।

(2) संविदा के आधार पर निजी सचिव के रूप में तैनाती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

- 1- अभ्यर्थी का नाम:-.....
- 2- पिता का नाम:-.....
- 3- जन्मतिथि:-.....
- 4- स्थाई पता:-.....
- 5- पत्र व्यवहार का पता:-.....
- 6- पूर्व में सेवारत विभाग का नाम:-.....
- 7- उक्त विभाग में कार्यभार ग्रहण की तिथि:-.....
- 8- सेवावधि:-.....
- 9- सेवारत विभाग में विभिन्न पदों पर तैनाती का विवरण:-.....
- 10- सेवारत विभाग में अन्तिम वेतन एवं परिलब्धियाँ.....
- 11- सेवावधि में किए गए विशेष कार्यों का विवरण.....
जिसका विशेष अनुभव प्राप्त हो।

पासपोर्ट साइज
फोटो

-:अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं:-

- (1) अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम के निजी सचिव हेतु सचिवालय सेवा के एक सेवानिवृत्त निजी सचिव की संविदा के आधार पर निजी सचिव(संविदा) के रूप में तैनाती की जानी है। उक्त निजी सचिव द्वारा अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम के कैम्प कार्यालय के कार्यों का सम्पादन किया जायेगा।
- (2) उक्त सेवानिवृत्त निजी सचिव को मानदेय के रूप में रू० 35,000/- प्रतिमाह की दर से नियत पारिश्रमिक देय होगा।
- (3) उक्त पद हेतु आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2018 को 65 वर्ष से अधिक न हो।
उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती एक वर्ष हेतु की जाएगी। तत्पश्चात् संतोषजनक सेवाएं प्राप्त होने पर एक वर्ष हेतु अध्यक्ष द्वारा समयावधि बढ़ायी जा सकती है। अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित संविदा पर योजित कार्मिकों को किसी भी समय हटाया जा सकेगा एवं उनके द्वारा इस सम्बन्ध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।